प्रपत्र –5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

राजस्व लोक अदालत

उनवान

1.जगदीश पुत्र नानगा जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक

2.गोपाल पुत्र नानगा जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक

3.धापू बेवा नानगा जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक

2..तहसीलदार तहसील उनियारा मु0 अलीगढ जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 45 वर्ष 2009

वादीगण की ओर से श्री के0एल0 ठाडा वकील, प्रतिवादी की और से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 12.3.2016 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादीगण को हाल आराजी ख0न0 2308 रकबा 0.27 है0 मे से 0.09 है0 वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 3 सन् 2016 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

दावा संख्या 45 वर्ष 2009

जगदीश पुत्र नानगा जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा वगैरह

बनाम

राजस्थान सरकार

वाद बाबत उदघोषणा , दु0 इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जारी हुए
12.3.2016	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत मे पेश हुयी । वादीगण के वकील व पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा उपस्थित। वादीगण के वकील ने पी.डब्लू. 1 जगदीश का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी सम्वत 2034–2037 वाके ग्राम उनियारा मे साबिक आराजी ख0न0 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229 कुल किता 6 कुल रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा नानगा पुत्र रामकरण कोम माली सा0 देह दर्ज है। प्रदर्श 2 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक ख0न0 1124, 1228 से हाल ख0न0 2132 रकबा 0.90 व साबिक ख0न0 1225 मि. व 1226 मि. से हाल ख0न0 2140 रकबा 0.55 है0 कायम हुये है। प्रदर्श 3 नकल मिलान क्षेत्रफल से साबिक ख0न0 2132 व 2140 से क्रमशः हाल ख0न0 2307 व 2315 कायम हुये है। प्रदर्श 4 नकल जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 मे हाल ख0न0 2307 रकबा 0.90 व ख0न0 2315 रकबा 0.55 कुल किता 2 कुल रकबा 1.45 है0 जगदीश गोपाल पि. नानगा व धापू धर्मपत्नी नानगा कोम माली सा0 देह की खातेदारी मे दर्ज है। वादीगण के वकील का कथन है कि पूर्व मे उनके खातेदारी मे 6 बीघा 3 बिस्वा जमीन थी सेटलमेन्ट विभाग ने हाल राजस्व रेकार्ड मे 0.09 है0 कम कर ख0न0 2308 मे मिला दिया। पेरोकार सरकार ने भी बह समे स्वीकार किया है कि वादीगण की खातेदारी मे 0.09 है0 भूमि कम दर्ज हुयी है। वादीगण को 0.09 है0 भूमि की खातेदारी दिये जाने मे कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुये वादीगण के वाद को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण को हाल आराजी ख0न0 2308 रकबा 0.27 है0 मे से 0.09 है0 वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक	

Scanned by CamScanner